Regarding proposal for setting up of Trader Welfare Board to oversee GST disputes and accountability- Laid

श्री अतुल गर्ग **(**गाजियाबाद**) :** मैं सरकार का ध्यान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में कुछ व्यावहारिक कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । जीएसटी लागू होने के बाद देश में व्यापार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समान स्वरूप मिला है और विकास की गति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है । किन्तु कुछ अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपनी कलम को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी छोटी सी तकनीकी के कारण या ड्राइवर की त्रुटि से ट्रक पकड़ा जाता है तो खरीदार या विक्रेता को सैकड़ों किलोमीटर दूर से बुलाकर दो से तीन दिनों तक रोक कर दो से तीन गुना कर जमा कराया जाता है । अधिकांश मामलों में यह जमा राशि बाद में वापस कर दी जाती है । सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत, कई स्थानों पर छापेमारी की जाती है और खरीदारों को अनुचित कारणों से बुलाकर, कागज़ जांच के नाम पर परेशान किया जाता है । मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में 5-10% की समीक्षा व्यापारी कल्याण बोर्ड या इसी प्रकार के किसी संगठन द्वारा की जाए । यदि जांच में अधिकारियों की गलती पाई जाती है, तो सम्बंधित अधिकारियों पर भी उचित दंड लगाया जाए ।